

12
10/24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित। पत्रावली के अनवान के
अनुसार तीन बार आवाजे लगाई जाने
के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता
अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली
अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में
खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल
शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
अपबन्ध अधिकारी, पाली